Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JULY-AUGUST, 2020, VOL- 8/60

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी0 एस0 टी0 का प्रभाव : एक विश्लेषण

कमलेश कुमार राय, Ph. D.

शिक्षक, राजनीति विज्ञान, उ0म0वि0 बभन बरेहटा, करगहर रोहतास (बिहार)

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

जीएसटी को आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है, जिससे दे ा भर में टैक्स प्रणाली लागू होगी। 20 तरह के टैक्स खत्म होंगे। पूरे दे ा में एक उत्पाद लगभग एक ही कीमत पर मिलेगा और हर प्रोडक्ट पर लगने वाले कर का बराबर हिस्सा केन्द्र–राज्यों का हो जाएगा। टैक्स की दरों में समानता और कमी आएगी। उपभोक्ताओं को राहत मिलगी।[1]

इसे लेकर कुछ आपत्तियां भी हैं। मसलन, तमिलनाडु को आ ांका है कि जीएसटी से उनका राजस्व घटेगा। ई–कॉमर्स कंपनियाँ भी स ांकित है। हालांकि किसी का रेवेन्यू घटने पर इसमें 5 साल तक राहत का प्रावधान है।[2]

जीएसटी से पहले केंद्रीय कर, मसलन कस्टम, एक्साइज, सेवाकार और राज्य कर जैसे–वैट, बिक्री कर, प्रवे ा कर, चुंगी वगैरह प्रचलन में थे, लेकिन इन प्रणाली में अधिकां ा कारोबारी कर देने से खुद को बचाने की चेश्टा करते थे। जीएसटी के तहत् कर संरचना त्रिस्तरीय है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आइजीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार, जीएसटी के तहत् केन्द्र सरकार कर वसूल करेगी, तो एसजीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार, जीएसटी के तहत् कारोबारियों के लिए कर चोरी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो कारोबारी कर नहीं दे रहे है या कर का कम भुगतान कर रहे हैं उन्हें कर की देय रा ि ा का 10 फीसदी या 10,000 रुपये, जो दंड की न्यूनतम रा ि ा है, जुर्माना के रूप में देनी होगी। जानबुझकर करवंचना का दोशी पाये जाने पर दोशी को देय कर रा ि ा का 100 प्रति ात जुर्माना देना होगा। वैसे जीएसटी की कर संरचना को इतना स ाक्त बनाया गया है कि कारोबारियों के लिए करवंचना करना आसान नहीं होगा।[3]

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख रुपये की वार्शिक बिक्रज्ञ। च्ट।ठभ।ट ी तय की गयी है और 75 लाख रुपये तक की सलाना बिक्री रहने पर महज एक फीसदी कर अदा करना होगा। कारोबारी यदि निर्माता है और 75 लाख का सालाना उत्पादन करता है, तो उसे केवल दो फीसदी कर देना होगा। इसका सीधा मतलब है कि जिन कारोबारियों की सलाना बिक्री 20 लाख रुपये तक है, उन्हें जीएसटी के लिए पंजीकरण नहीं कराना होगा और 75 लाख रूपये तक की सालाना बिक्री करनेवालों या निर्माण करनेवालों कारोबारियों को क्रम ाः एक और दो फीसदी कर देना होगा। सरकार की ऐसी कवायद से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कारोबारी स्वतः जीएससी देने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे कर के दायरे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

करदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है कहा जा रहा है कि उन्हें महीने में तीन से चार और सालाना 37 फार्म दाखिल करने होगें।[4] हालांकि वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है, हकीकत में कारोबारी द्वारा एक बार रजिस्ट्रे ान कराने के बाद उसे हर महीने की 10 तारीख तक पिछले महीने का रिटर्न फाइल करना होगा, भोश दो रिटर्न कम्प्यूटर द्वारा स्वतः सृजित होगा।

जीएसटी के रिटर्न को दाखिल करने के लिए ऑफलाईन प्रारूप पर काम करना होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भीट जैसा होगा। रिटर्न को ऑफलाइन भेजा जायेगा, जिसे बाद में ऑनलाईन किया जायेगा। इस प्रक्रिया में गलती होने पर उसका सुधार आसान नहीं होगा। जमा करके रिफंड की स्थिति में वेंडर की पुश्टि की जरूरत होगी, जिसमें कारोबारियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।[5]

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) करदाता और सरकार के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। जीएसटीएन एक गैर–सरकारी संगठन है, जिसका काम केन्द्र और राज्य सरकार और करदाताओं के बीच साक्षा आइटी नेटवर्क उपलब्ध कराना है। करदाताओं का रजिस्ट्रे ान करने के बाद उन्हें जीएसटीएन नंबर मिलेगा। जीएसटीएन नंबर के जरिये ही कारोबारी जीएसटी से जुड़े तमाम कार्य कर सकेंगे। देखा जाये तो जीएसटी टेक्नोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा जीएसटीएन ही है। इसके तहत् जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और जमा करके रिफंड दावों के निपटारे के लिए सरकार ने 1400

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। इस नेटवर्क के दो हिस्से है, पहला जीएसटीएन प्लेटफॉर्म और राज्यों का नेटवर्क, इंफोसिस द्वारा तैयार जीएसटीएन की मदद से हर महीने के 10 तारीख तक 3.2 अरब रसीडें 34 अपलोड होगी, लेकिन एक राज्य में प्रणाली के असफल होने पर नेटवर्क से जुड़ी समूची प्रक्रिया ठप्प पड़ जायेगी।

इसमें दो राय नहीं है कि जीएसटी टेक्नोलॉजी का स्वरूप बेहद जटिल है। माना जा रहा है लगभग 80 लाख करदाता जीएसटी में पंजीकरण करायेंगे, जिसमें 70 लाख लघु और मध्यम कारोबारी होंगे, लेकिन भारत जैसे देश में अभी कारवाई एवं ग्रामीण इलाकों मे बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं, जो हर साल 75 लाख से अधिक की बिक्री करते हैं, लेकिन वे या तो अनपढ़ है या पढ़े–लिखे। जीएसटी टेक्नोलॉजी को जटिल प्रक्रिया को समझना वैसे तो पढ़े–लिखे कारोबारियों के लिए भी आसान नहीं है, तो अनपढ़ या पढ़े–लिखे की विसात ही क्या है। स्पश्ट है कि कारोबारियों को जीएसटी की जटिलताओं को सुलझाने के लिए नि चचत रूप से पे ोवरों की मदद की जरूरत होगी।

मौजूदा समय में चार्टर्ड अकाउटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कर सलाहकार, वकील आदि कारोबारियों के कर से जुड़े कार्यों को निबटाते हैं, लेकिन जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को निबटाने में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकां ा कर सलाहकारों और वकीलों को मुि कलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी की प्रणाली बेहद जटिल है। ऐसे में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को निबटाने का सारा दारोमदार चार्टर्ड एकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी पर आ जायेगा।

जीएसटी के तहत् 80 लाख करदाताओं द्वारा पंजीकरण कराने की उम्मीद है। यदि एक पे ोवर 20 कारोबारियों का रिटर्न फाइल करेगा, तब भी 80 लाख कारोबारियों का रिटर्न फाइल करने के लिए चार लाख पे ोवरों की जरूरत पड़ेगी। हमारे दे ा में इतनी बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कम्पनी सेक्रेटरी नहीं हैं। अप्रैल, 2015 के आंकड़ों के अनुसार, हमारे दे ा में 239974 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनमें से केवल 5540 ही प्रेक्टिस कर रहे थे, जबकि 31 मार्च 2016 तक केवल 7776 कंपनी सेक्रेटरी ही प्रेक्टिस कर रहे थे। साफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रटरी की मांग ज्यादा होने पर वे अपने

पे ोवर भाुल्क में इजाफा कर देंगे, जिससे कारोबारियों को ज्यादा भाुल्क भुगतान करना होगा।

कहा जा सकता है कि जीएसटी की सफलता के लिए कारोबारियों को दूर करने के साथ–साथ जीएसटी टेक्नोलॉजी और रिर्टन दाखिल करने की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की जरूरत है। पहले कर का रिटर्न मैन्यूअल भी दाखिल किया जाता था, लेकिन जीएसटी प्रणाली पूर्ण रूप से कम्प्यूटीकृत है, जिससे अधिकां ा कारोबारी खुद से अपना रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ है। मोटे तौर पर पे ोवरों का कार्य जीएसटी के तहत् कारोबारियों का पंजीकरण कराना, रिटर्न दाखिल करना और इससे जुड़े दूसरे कार्यो को निबटारा, कर दस्तावेज तैयार करना, कर अधिकारियों के समक्ष कारोबारियों की समस्याओं को रखना और उनका निबटारा करना, कर दस्तावेज तैयार करना, विविध कानूनों के दायरे में ऑडिट करना, अधिक कर जमा कर देने पर कारोबारियों को उसका रिफंड दाखिल करना और इससे जुड़े दूसरे कार्यों की निबटारा कर दस्तावेज तैयार करना, कर कानूनों के दायरे में कारोबार करने के लिए कारोबारियों को प्रोत्साहित करना आदि हैं। चूँकि सरकार न तो पे ोवरों की संख्या बढ़ाने की स्थिति में है और न ही कारोबारियों की मदद करने की। इसलिए कर सलाहकारों और वकीलों की जीएसटी से संबंधित जानकारी के दायरे को बढ़ाने की कोि ा ा करनी होगी, ताकि वे जल्द–से–जल्द इससे जुड़े कार्यों को निबटाने में समर्थ हो सके।

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुप्रतीक्षित गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को संसद से पारित कराने में ऐतिहासिक सफलता पायी है। इस सफलता की बदौलत अब अप्रत्यक्ष करों के मामले में दे ा में 'एक राश्ट्र एक कर' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना संभव हो गया है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिहाज से यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार के अवसर, व्यापार में सुगमता और निदे ा की दृश्टि से जीएसटी के फायदे भविश्य में स्पश्ट तौर पर दिखने लगेंगे।[6]

कर प्रणाली के संबंध में महाभारत के भाांतिपर्व का भीश्म, युधिश्ठिर संवाद उल्लेखनीय है। भाांतिपर्व के अध्याय 88 में भीश्म कहते हैं कि जैसे मधुमक्खी फूलों से

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

धीरे–धीरे मधु इक्ट्ठा करती है उसी प्रकार राजा को भी अपने राज्य से धीरे–धीरे कर संग्रहण करना चाहिए। अर्थात् कर वह अच्छा जो राज्य की जनता को तकलीफ न दे और उस पर जरूरत से अधिक भार न पड़े। जीएसटी पर बात करते समय हमें यह गौर करना होगा कि हम दे ा को एक राजनीतिक संघ के रूप में तो देखते आये हैं, लेकिन आर्थिक संघ बनाने की दि ाा में ठोस काम अब तक नहीं हुआ था। जीएसटी आने के बाद जब पूरे दे ा में समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो रही है तो हम दे ा को आर्थिक यूनियन के तौर पर विकसित करने की दि ाा में कदम बढ़ा चुके हैं। साधारण मान्यता है कि जब अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो समान रूप से उसका बोझ दे ा के सभी अमीर और गरीब पर पड़ता है। ऐसे में करों के उपर कर के अधिभार से दे ा की गरीब और आम जनता ज्यादा प्रभावित होती है और इससे होने वाली दिक्कतें गरीब को ही ज्यादा परे ाान करती है।

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार की जरूरत को महसूस की गयी। इस समस्या पर ध्यान देते हुए सरकार ने संघवाद के ढांचागत आधार को मजबूत करते हुए विधानमंडलों और संसद के माध्यम से एक प्रतिनिधि संस्था जीएसटी काउंसिल की रचना के माध्यम से इस कार्य को मूर्त रूप देने का कार्य किया है। संघीय ढांचे में लोकतांत्रिक प्रणाली से सहमति और न्यूनतम साझेदारी की नीति पर चलते हुए जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। जिससे कर से जुड़े जरूरी प्रगति कार्य को आगे बढ़ाया जाये। इसी के आधार पर इस काउंसिल के चार स्तरों पर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को वर्गीकृत किया है।

दे ा में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए चाहे कारोबार में सुगमता अर्थात् ईज ऑफ डूइंग विजनेस का प्र न हो या आधारभूत संरचना का बेहरी के साथ इस्तेमाल कैसे हो, इस विशय पर समाधान देने की दि ाा में जीएसटी कारगर उपाय साबित होगा।[7]

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली समान नहीं होने के कारण अलग–अलग राज्यों में करों में असमानता की वजह से एक व्यापारिक असंतुलन की स्थिति भी पैदा हुई है, जिसका सामधान जीएसटी से पाया जा सकेगा। मसलन अगर क मीर से कोई मालवाहक ट्रक कन्यामुमारी तक जाता है तो रास्ते में उसे कर असमानता के अनेक बैरियर झेलने पड़ते

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

है। जीएसटी लागू होने के बाद ऐसी बाधाओं को काफी हद तक कम करते हुए एक निर्बाध व्यापारिक माहौल दे पाने में सफलता हासिल कर सकेंगे।[8]

दे ा में रोजगार के अवसरों में कमी की बात अकसर लोग करते हैं, लेकिन जब इस विशय पर हम ध्यान देते हैं तो व्यापारिक सुगमता का प्र न साफ तौर पर कारक के रूप में नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दे ा में निर्बाध और सुगम व्यापारिक माहौल दे पाने में कामयाब होते हैं, तो रोजगार के अवसर स्वतः पैदा होने लगेंगे। हालांकि, इस दि ाा में प्रयास किया जाता है, तो कुछ लोग इसे गलत तथ्यों के साथ तोड़—मरोड़ कर पे ा करने लगते हैं, लेकिन भारतीय अर्थचिंतन के मूल में जाने पर हमें ज्ञात होता है कि व्यापारिक सुगमता को लेकर भारत की दृश्टि बेहद सकारात्मक रही है। महाभारत के भाांतिपर्व में इस बात का जिक्र है कि राज्य के व्यापारियों की रक्षा और उनके हितों का ख्याल पुत्र की भांति करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में भाुरूआती चार द ाकों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की समाजवादी एवं साम्यवादी आर्थिक नीतियों ने एक बंद अर्थव्यवस्था विकसित की थी, जहां परमिट और लाइसेंस की प्रणाली हमारी आर्थिक सुगमता में बाधक रही। वे नीतियां इस दे ा की मूल अर्थचिंतन के अनुरूप नहीं थी। परिणामतः सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण एवं अवसरों की उपलब्धता की स्थिति बेहर लचर होती गयी। जीडीपी ग्रोथ की दर भी बेहद औसत दर्जे की बनी रही। ऐसे में आर्थिक सुधारों की भाुरूआत के बाद से अब तक अप्रत्यक्ष करों में सुधार से जुड़ा यह कार्य नहीं हो सका था, जिसे केन्द्र सरकार ने पूरा किया।

जीएसटी लागू होने से न सिर्फ दे ा की आम तौर गरीब जनता लाभान्वित होगी, बल्कि व्यापार क्षेत्र में भी तेजी आयेगी। कारोबार में आसानी होने से जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो इसका लाभ दे ा की गरीब जनता को ही मिलेगा। कर असमानता को गैर वाजिब प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करनेवालों पर लगाम लगेगी और दे ा के विविध क्षेत्रों के विकास को बल मिलेगा। जीएसटी महज एक कर सुधार की प्रक्रिया है। मगर इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे। पारद िता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरण देकर दे ा में विकास की धारा को तेज करने के लिए जीएसटी एक कारगर उपकरण साबित होगी। स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्श 1893 में अपने एक ि ाश्य अलासिंगा को लिखे

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

गये एक पत्र, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुधारों को मूर्त रूप देने और असमानता को समाप्त करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बेहद अनिवार्य तत्व बताया है, पर भी गौर करना चाहिए। उस पत्र के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा से सामाजिक उत्थान स्वतः होता है। आज के संदर्भ में अगर स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गयी उन बातों को देखें, तो जीएसटी के माध्यम से आर्थिक सपन्न्ता और स्वतंत्रता के लक्ष्यों को हासिल करने की दि ाा में वर्तमान सरकार ने ठोस कदम बढ़ाया है।

पहली जुलाई 2017 से दे । में जीएसटी लागू हो गया जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे टैक्स सिस्टम को खत्म कर देगा। दे ाभर में टैक्स की समान व्यवस्था लागू हो जाएगी। बिहार ने इस नई व्यवस्था से काफी उम्मीद लगा रखी है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार दे । के बड़े राज्यों में भाामिल है। जाहिर सी बात है यहां विभिन्न वस्तुओं की अधिक खपत है। बड़े उपभोक्ता राज्य होने के नाते इसे कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ई–कॉमर्स से होगा। वर्त्तमान समय में ऑनलाइन वस्तुएं खरीदने की होड़ मची है और अब नई व्यवस्था में दे । के किसी भी कोने से यहां के लोगों द्वारा ऑनलाइन खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर लगा टैक्स बिहार के ही हिस्से में आएगा। पहले टैक्स के इस बड़े हिस्से से राज्य को वंचित होना पड़ता था। इसी कारण दो साल पूर्व दस हजार से अधिक की ऑनलाइन खरीदारी पर राज्य सरकार ने अलग से टैक्स की व्यवस्था की थी।[9]

बिहार में छोटे व्यवसायियों की संख्या काफी अधिक है। यह प्रावधान किया गया है कि इन्हें जीएसटी की बारीकियों से अलग रखा जाए। इसके लिए समाहितीकरण (कम्पाउडिंग) की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत् छोटे व्यवसायियों का समूह बनाकर उनपर एक फिक्स्ड टैक्स लगेगा। टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तथा रेल एवं सड़क मार्ग में परिवहन जैसी प्रमुख सेवाओं पर भी राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। जीएसटी को लागू करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कॉमन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। कॉमन पोर्टल पर सभी व्यवसायियों को अपनी विवरणी अनिवार्य रूप से देनी होगी। विवरणी दाखिल करने की बाध्यता के कारण राज्य में आने वाले माल पर कर की प्राप्ति सुनिि चत की जा सकेगी। यह पता चल जाएगा कि किस स्थान पर

टैक्स लगा और उस माल की खपत कहां हुई। कॉमन पोर्टल के माध्यम से ही परिवहन का प्रभावी रूप से अनुश्रवण संभव हो पाएगा, जिसके कारण बिहार को किसी अन्य राज्य में वसूले गए कर की प्राप्ति सुनि चत की जा सकेगी।[10]

इन सब प्रावधानों के नतीजे में बिहार को टैक्स के रूप में कितनी रा ा मिलेगी, इसका आकलन अभी नहीं हो सका है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी इस आंकलन में जुटे हैं। उनके मुताबिक, जिस जगह माल की अंतिम रूप से खपत होगी, उस राज्य को टैक्स मिलने के प्रावधान का बिहार जैसे उपभोक्ता राज्य को लाभ होगा। एक आम अंदाजे के मुताबिक करीब 5–6 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त रा ा जीएसटी लागू के प चात् बिहार को प्रति वर्श मिलने लगेगी।

जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार माल और सेवा कर विधेयक–2017 के रूप में अपना कानून भी बनाया है। इसके तहत् राज्य में टैक्स वसूली के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हो सकेगी। मुख्य आयुक्त, वि ोश आयुक्त, अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, एवं सहायक आयुक्त के अलावा आव यकतानुसार अन्य पदों पर बहाली की जा सकेगी। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदे ा के खिलाफ केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के समय अपील नहीं की जा सकेगी। बिहार जीएसटी में करों में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। जहां सरकार को यह लगेगा कि लोकहित में करों में छूट आव यक है, वहां वह अधिसूचना जारी कर टैक्स में छूट दे सकेंगी। दरअसल, राज्य सरकार निजी निवे ा को बढ़ावा देने के लिए निवे ाकों को कई प्रकार की छूट दे रही है। इसे जारी रखने के लिए ही मुख्य रूप से यह प्रावधान किया गया है। जीएसटी के बिहार अधिनियम में कर आयुक्त को टैक्स चोरी करनेवालें व्यवसायियों को गिरफ्तार करने की भाक्ति प्रदान की गई है। संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी किसी व्यवसायी के खाता–बही, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की जांच कर सकेंगे। बिहार माल और सेवा कर विधेयक–2017 अखिल भारतीय स्तर पर सहमत प्रारूप पर आधारित है।

उपभोक्ता राज्य होने के नाते बिहार ने आरंभ से ही जीएसटी का समर्थन किया है। यूपीए सरकार के समय जब 2006 में संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री पी0 चिदंबरम ने

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

जीएसटी विधेयक पे ा किया था तब एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी मुख्यमंत्री नीती ा कुमार ने इसका समर्थन किया था। 2014 मे जब नरेन्द्र मोदी सरकार यह बिल संसद में लाई तब भी उन्होंने इसका समर्थन किया। तब वह एनडीए से अलग हो चुके थे। जीएसटी बिल को राज्य के विधानमंडल से पारित कराने वाला बिहार पहला और एनडीए राज्य है। इससे पहले असम सरकार ने बिल को अपने विधानसभा में पारित कराया है। असम में एनडीए की सरकार है।

जीएसटी के दायरे से करीब 128 वस्तुओं को दूर रखा गया है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, रियल एस्टेट आदि प्रमुख हैं। जीएसटी के लिए विधेयक बनाने के साथ–साथ इन वस्तुओं पर लग रहे टैक्स में आव यकतानुसार बदलाव के लिए भी राज्य सरकार ने नया सं ाोधन विधेयक बनाया है। इसे भी विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल चुकी है। वर्त्तमान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम–2005 के अधीन कर लगाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैमानिक ईंधन, कच्चा पेट्रालियम तथा भाराब को तत्काल जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन वस्तुओं पर टैक्स लगाने के लिए ही राज्य सरकार ने बिहार कराधान विधि (सं ाोधन) विधेयक–2017 के रूप में नए सं ाोधन विधेयक पर विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त की है।

टैक्स वसूली (हजार करोड़ में) 2015–16

राज्य का अपना टैक्स	–	25.5
राज्य का अपना नन–टैक्स	–	2.2
केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	–	48.9
केन्द्रीय अनुदान	–	19.5
कुल	**–**	**96.1**

(जीएसटी लागू होने के बाद 2017–18 का लक्ष्य बदल जाएगा) राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा पाएगी। बदले में उसके हिस्से की रािा उनके पास केन्द्र के मार्फत आएगी।

संभावित टैक्स वसूली (हजार करोड़ में) 2016–17

राज्य का अपना टैक्स	–	27.9
राज्य का अपना नन–टैक्स	–	2.4

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	–	58.9
केन्द्रीय अनुदान	–	38.4
कुल	**–**	**127.6**

लक्ष्य (हजार करोड़ में) 2017–18

राज्य का अपना टैक्स	–	32.0
राज्य का अपना नन–टैक्स	–	2.9
केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	–	65.3
केन्द्रीय अनुदान	–	36.9
कुल	**–**	**137.1**

संदर्भ :–

दीक्षित अनुराग, दैनिक जागरण, पृश्ठ–10, 4 जुलाई 2016
वही, पृश्ठ–10
सिंह सती I, प्रभात खबर, पृश्ठ–07, 6 जुलाई 2017
वही, पृश्ठ–7
वही, पृश्ठ–7
भुपेंद्र यादव : अप्रत्यक्ष कर में सुधार से लाभ, प्रभात खबर, पृश्ठ–2, 27 अप्रैल 2017
वही, पृश्ठ–8
वही, पृश्ठ–8
एस0 ए0 भाद : जी.एस.टी. से बिहार को लाभ
वही, पृश्ठ–12

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language